न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 34/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
दाखु पुत्री मंगलसिंह पत्नि कुम्भसिह जाति रावत निवासी रायरा खुर्द तहसील सोजत	1	मानसिंह पुत्र खीमसिंह
	2	प्रेमसिंह पुत्र खीमसिंह
	3	वनेसिंह पुत्र खीमसिंह
	4	लक्ष्मणसिंह पुत्र खीमसिंह जातिगण रावत निवासीगण करमाल तहसील मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री धर्मेन्द्र व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री कानाराम सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 4

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/11/2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम करमाल तहसील मा0जं0 के नामान्तरकरण संख्या 73 पर नायब तहसीलदार खारची द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 11.12.1978 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम करमाल के खसरा नम्बर 211, 237, 240, 241, 245, 263, 277, 455 व 458 कुल खसरा 9 जिसका कुल रकबा 2.2004 हेक्टेयर की भूमि मोडसिंह पुत्र भीमसिंह जाति रावत की खातेदारी भूमि थी। मोडसिंह के तीन पुत्र थे, जो मंगलसिंह, खीमसिंह एवं कूपसिंह थे। मोडसिंह का निधन हो जाने के समय मंगलसिंह का भी निधन हो जाने के कारण सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार जांच किये बिना ही मोडसिंह के उत्तराधिकारीयों के तौर पर खीमसिंह व कूपसिंह का नाम जैर अपील नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया। जबकि इस भूमि में मंगलसिंह का भी हक हिस्सा निहित था। अपीलाण्ट मंगलसिंह की जायन्दा पुत्री है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 खीमसिंह के पुत्र है तथा कूपसिह लाऔलाद फात हो चुका है। इस प्रकार मोडसिंह के विधिक वारिशान के तौर पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट ही है। मंगलसिंह की पुत्री होने के नाते मोडसिंह की भूमि में अपीलाण्ट का भी हक हिस्सा निहित है, किन्तु अधिनस्थ न्यायलय द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण दायर करने से पूर्व मोडसिंह के विधिक

अति० जिला कलक्टर, पाली

वारिशान की विधिवत जांच नही किये जाने के कारण अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने जैर अपील नामान्तरकरण दायर करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान नही किया तथा न ही किसी प्रकार की सुनवाई की। अतः जैर अपील नामान्तरकरण विधि विरूद्ध रूप से जारी किया गया है, जो कायम रखने योग्य नही है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार मा0जं0 द्वारा पारित स्वीकृति आदेश अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता मंगलसिंह ने अपने जीवन काल में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की है, यदि उक्त खसरों की भूमि में अपीलाण्ट के पिता मंगलसंह का हिस्सा होता, तो वे अपने जीवनकाल में आवश्यक रूप से कार्यवाही करते। नामान्तरकरण दायर होने के 38 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है, जो विशुद्ध रूप से म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में जो खसरा नम्बर अंकित किये है, जैर अपील नामान्तरकरण उन खसरा नम्बरान से सम्बन्धित नही है। उन खसरा नम्बरान से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 153 है, जिस पर इसी न्यायालय द्वारा बअनवान प्रेमसिंह बनाम मानसिंह में दिनांक 08.11.2016 को निर्णय पारित किया जाकर नामान्तरकरण को निरस्त कर रिमाण्ड किया गया है। अपीलाण्ट ने गलत तथ्य बताकर अपील प्रस्तुत की है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज करावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण खातेदार मोडसिंह के फौत होने पर उसके पुत्र खीमसिंह व कूपसिंह के नाम से दायर किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को मोडसिंह की पौत्री एवं मंगलसिंह की एकमात्र जायन्दा सन्तान होना बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत जैर अपील नामान्तरकरण की भूमि में अपना अधिकार होना बताते हुए नामान्तरकरण को निरस्त कराने एवं मोडसिंह के विधिक वारिशान के नाम नामान्तरकरण दायर करवाने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रश्न म्याद का है, तो इस सम्बन्ध में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पक्षकारो के मध्य हक अधिकार जैसे जटिल बिन्दुओं का प्रश्न हो, वहां म्याद के बिन्दु पर प्रकरण का निर्धारण नही किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना ही न्यायोचित माना गया है। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी रूप में अपीलाण्ट को मंगलसिंह की पुत्री होने से स्पष्टतः इन्कार नही किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत मोडसिंह के समस्त विधिक वारिशान की जांच की जाकर विधिनुरूप नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सके।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम करमाल के नामान्तरकरण संख्या 73 पर नायब तहसीलदार खारची द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 11.12.1978 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार मा0जं0 को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत मोडसिंह के समस्त विधिक वारिशान की जांच करें एवं पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर, नियमों तथा साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से

अति० जिला कलक्टर, पाली

नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधिनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28/11/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली